



2026:AHC:60989-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 29810/2025

योगराज शर्मा और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: शशांक तिवारी, स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: अंकुर आज़ाद, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक तिवारी, तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण 1, 2 के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यद्यपि श्री अंकुर आज़ाद का नाम प्रथम सूचनाकर्ता/प्रत्यर्थी-3 के अधिवक्ता के रूप में सूची में सम्यक रूप से प्रकाशित है, किन्तु न तो वे स्वयं और न ही उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति इस रिट याचिका का विरोध करने हेतु उपस्थित है।
3. अभिलेख का अवलोकन किया गया।
4. याचिकाकर्तागण- योगराज शर्मा तथा एक अन्य ने वर्तमान आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष प्रथम सूचनाकर्ता-प्रत्यर्थी-3, संतोषी द्वारा दिनांक 1.4.2023 को दर्ज की गई तथा धारा 406, 420 आई.पी.सी. के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 043/2023

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के रूप में पंजीकृत, थाना-आयना, जनपद-औरैया की एफ.आई.आर. को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया है।

5. सर्वप्रथम, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपर्युक्त एफ.आई.आर. दर्ज होने के पश्चात, पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है। पक्षकारों के बीच इस प्रकार हुए समझौते के आधार पर, दिनांक 11.12.2025 के समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के माध्यम से एक समझौता किया गया, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक-2 के रूप में अभिलेख पर है।

6. उपर्युक्त आधार पर, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पक्षकारों के बीच का विवाद पूर्णतः निजी प्रकृति का विवाद है। जिस अपराध का परिवाद किया गया है, राज्य अथवा समाज के विरुद्ध अपराध नहीं है। अतः, पक्षकारों के बीच हुए समझौते को स्वीकार करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। तत्पश्चात याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि एक बार जब प्रथम सूचनाकर्ता तथा अभियुक्तगण के बीच समझौता हो चुका है, जिस पर कार्यवाही भी हो चुकी है, तो याचिकाकर्तागण के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन को लंबे समय तक खींचने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। पक्षकारों के बीच हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए, याचिकाकर्तागण की दोषसिद्धि की संभावना न केवल क्षीण अपितु धूमिल भी है। अतः, वे कथन करते हैं कि उपरोक्त के दृष्टिगत, आक्षेपित एफ.आई.आर. इस न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने योग्य है।

7. इसके विपरीत, राज्य-प्रत्यर्थीगण 1, 2 के विद्वान ए.जी.ए. वर्तमान रिट याचिका का विरोध नहीं करते हैं। विद्वान ए.जी.ए. का कथन है कि चूंकि जिस अपराध का परिवाद किया गया है, राज्य अथवा समाज के विरुद्ध न होकर निजी प्रकृति का है, अतः यदि वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

8. जो भी हो, मामले का सार यह है कि पक्षकारों के बीच समझौता हो चुका है, जिस पर कार्यवाही भी हो चुकी है। यह न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं है:

i. बी.एस. जोशी तथा अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा एक अन्य, (2003) 4 एससीसी 675

ii. मदन मोहन अम्बोट बनाम पंजाब राज्य, (2008) 4 एससीसी 582

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- iii. निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, [(2008) 9 एससीसी 677]
- iv. मनोज शर्मा बनाम राज्य तथा अन्य, (2008) 16 एससीसी 1
- v. शिजी उर्फ पप्पू तथा अन्य बनाम राधिका तथा एक अन्य, (2011) 10 एससीसी 705
- vi. ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303
- vii. के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा, (2013) 5 एससीसी 226
- viii. डिम्पी गुजराल तथा अन्य बनाम संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ के माध्यम से, तथा अन्य, (2013) 11 एससीसी 497
- ix. नरिंदर सिंह तथा अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466
- x. योगेंद्र यादव तथा अन्य बनाम झारखंड राज्य तथा एक अन्य, (2014) 9 एससीसी 653
- xi. श्लोक भारद्वाज बनाम रुनिका भारद्वाज, (2015) 2 एससीसी 721
- xii. सी.बी.आई. बनाम मनिंदर सिंह, (2016) 1 एससीसी 389
- xiii. सी.बी.आई. बनाम साधु राम सिंगला तथा अन्य, (2017) 5 एससीसी 350
- xiv. परबतभाई आहिर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर तथा अन्य बनाम गुजरात राज्य तथा एक अन्य, (2017) 9 एससीसी 641
- xv. अनीता मारिया डायस तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य, (2018) 3 एससीसी 290
- xvi. सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार तथा एक अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य, (2018) 10 एससीसी 443 (संविधान पीठ)
- xvii. मध्य प्रदेश राज्य बनाम ध्रुव गुर्जर तथा एक अन्य, (2019) 5 एससीसी 570
- xviii. मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण तथा अन्य, (2019) 5 एससीसी 688
- xix. रामपाल बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर ऑनलाइन 2019 एससी 1716
- xx. अरुण सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य, (2020) 3 एससीसी 736
- xxi. (रामगोपाल तथा एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य), 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 834

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



xxii. दक्षाबेन बनाम गुजरात राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन 936।

xxiii. केरल राज्य बनाम हफसल रहमान एन.आर., विशेष इजाज़त याचिका (आपराधिक) डायरी सं. 24362/2021।

xiv. शत्रुघ्न आत्माराम पाटिल तथा एक अन्य बनाम विनोद दोधू चौधरी तथा एक अन्य, (2024) 4 एससीसी 458।

xv. सूरज सिंह गुर्जर तथा एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2414।

xvi. के. भारती देवी तथा एक अन्य बनाम तेलंगाना राज्य तथा एक अन्य, (2024) 10 एससीसी 384।

xvii. रामजी लाल बैरवा तथा एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3193।

xviii. एच.एन. पंडाकुमार बनाम कर्नाटक राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 38।

जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि कतिपय संज्ञेय तथा अशमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के बीच समझौता किया जा सकता है। तथापि, सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया कि समाज के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता क्योंकि वे निजी प्रकृति के नहीं होते हैं। इसी प्रकार रामपाल बनाम हरियाणा राज्य (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बलात्कार तथा लैंगिक हमले से संबंधित वादों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने दक्षाबेन (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 306 आई.पी.सी. के अंतर्गत मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। केरल राज्य बनाम हफसल रहमान (उपरोक्त) में, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पाँक्सो अधिनियम के अंतर्गत वादों में कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय द्वारा शैफुल्लाह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य [2013 (83) एससीसी 278] में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उपरोक्त कतिपय वादों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने परबतभाई आहिर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर (उपरोक्त) में प्रतिवेदन के प्रस्तर 16 से 16.10 में आपराधिक कार्यवाहियों के खारिजी के साथ-साथ आपराधिक कार्यवाहियों में समझौते के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश प्रतिपादित किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

"16. इस विषय पर पूर्वनिर्णयों से उद्भूत होने वाले व्यापक सिद्धांतों को निम्नलिखित प्रस्थापनाओं में संक्षेपित किया जा सकता है

16.1. धारा 482 किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने अथवा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने हेतु उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करती है। यह उपबंध कोई नई शक्तियां प्रदान नहीं करता है। यह केवल उन शक्तियों को अभिज्ञात तथा संरक्षित करता है जो उच्च न्यायालय में अंतर्निहित हैं;

16.2. अपराधी तथा पीड़ित के बीच समझौता हो जाने के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने हेतु उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लेना, अपराध के शमन के प्रयोजन हेतु अधिकारिता के अवलंब लेने के समान नहीं है। अपराध के शमन के समय, न्यायालय की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 के उपबंधों द्वारा शासित होती है। धारा 482 के अंतर्गत खारिज करने की शक्ति तब भी आकर्षित होती है जब अपराध अशमनीय हो।

16.3. धारा 482 के अंतर्गत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए यह राय बनाने में कि क्या किसी आपराधिक कार्यवाही अथवा परिवाद को खारिज किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय को यह मूल्यांकन करना होगा कि क्या न्याय के उद्देश्य अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को न्यायोचित ठहराएंगे;

16.4. यद्यपि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का दायरा तथा व्यापकता विस्तृत है, तथापि इसका प्रयोग; (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने अथवा (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु किया जाना चाहिए;

16.5. यह निर्णय कि क्या अपराधी तथा पीड़ित द्वारा विवाद का निपटारा कर लिए जाने के आधार पर किसी परिवाद अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट को खारिज किया जाना चाहिए, अंततः प्रत्येक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वाद के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सिद्धांतों का कोई विस्तृत प्रतिपादन नहीं किया जा सकता;

16.6. धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय तथा विवाद निपटा लिए जाने संबंधी अभिवचन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति तथा गंभीरता पर सम्यक ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति से संबंधित जघन्य तथा गंभीर अपराध अथवा हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अपराध, पीड़ित अथवा पीड़ित के परिवार द्वारा विवाद निपटा लिए जाने के बावजूद, उपयुक्त रूप से खारिज नहीं किए जा सकते। सत्य कहा जाए तो, ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते बल्कि समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। ऐसेवादों में विचारण जारी रखने का निर्णय गंभीर अपराधों हेतु व्यक्तियों को दंडित करने में लोकहित के अध्यारोही तत्व पर आधारित है;

16.7. गंभीर अपराधों से भिन्न, ऐसे आपराधिक वाद भी हो सकते हैं जिनमें सिविल विवाद का प्रभावी अथवा प्रमुख तत्व विद्यमान हो। खारिज करने की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग की सीमा तक, वे एक भिन्न आधार पर स्थित होते हैं;

16.8. वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, भागीदारी अथवा तत्सम संव्यवहारों से उद्भूत तथा मूलतः सिविल स्वरूप वाले अपराधों से संबंधित आपराधिक वाद, उपयुक्त परिस्थितियों में, जहां पक्षकारों ने विवाद का निपटारा कर लिया हो, खारिज किए जाने हेतु आ सकते हैं;

16.9. ऐसे वाद में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर सकता है यदि विवादियों के बीच हुए समझौते के दृष्टिगत, दोषसिद्धि की संभावना क्षीण हो तथा आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उत्पीड़न तथा पूर्वाग्रह कारित हो; तथा

16.10. उपरोक्त प्रस्थापना 16.8 तथा 16.9 में प्रतिपादित सिद्धांत का अभी भी एक अपवाद है। राज्य के वित्तीय तथा आर्थिक कल्याण से संबंधित आर्थिक अपराधों के निहितार्थ, निजी विवादित पक्षों के बीच मात्र विवाद के क्षेत्र से परे होते हैं। जहां अपराधी वित्तीय अथवा आर्थिक कपट या दुराचरण के समान किसी गतिविधि में लिप्त हो, वहां उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने से इंकार किया जाना न्यायोचित होगा। परिवादित कृत्य के वित्तीय अथवा आर्थिक प्रणाली पर पड़ने वाले परिणाम विचारणीय होंगे।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हाल ही में रामगोपाल तथा एक अन्य (उपरोक्त) में, न्यायालय ने समझौते के दृष्टिगत आपराधिक कार्यवाहियों के खारिजी संबंधी दिशानिर्देशों को पुनः दोहराया है। प्रस्तर 18-19 में निम्नलिखित अवलोकित किया गया है:-

"18. यह अब सुस्थापित सिद्धांत है कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत पूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु इस न्यायालय की पूर्ण अधिकारिता, स्वतः ही, साधारण सांविधिक उपबंधों द्वारा सीमित अथवा निर्बंधित नहीं की जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि आपराधिक कार्यवाहियों को निरसित तथा अपास्त करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां प्रदान करने वाले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के समान किसी अभिव्यक्त उपबंध की अनुपस्थिति में भी, संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रयोज्य अधिकारिता, पूर्ण न्याय सुरक्षित करने हेतु इस न्यायालय को आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज करने की व्यापक शक्तियों से युक्त करती है। ऐसा करते समय, आपराधिक न्याय प्रणाली में दंडादेश के सर्वोपरि उद्देश्य पर सम्यक ध्यान दिया जाना चाहिए, जो सामूहिक शांति के अनुरक्षण के उदात्त दर्शन पर आधारित है तथा यह कि किसी व्यक्ति को कारागार में निरुद्ध किए जाने का औचित्य उसके सुधार पर लक्षित है।

19. अतः हम संक्षेप में यह अभिनिर्धारित करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के विपरीत, जहां न्यायालय सांविधिक ढांचे के अंतर्गत 'शमनीय' अपराधों के संबंध में पक्षकारों के बीच हुए समझौते द्वारा सर्वथा निर्देशित होता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में निहित अथवा संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत इस न्यायालय में निहित असाधारण शक्ति का अवलंब, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की सीमाओं से परे भी लिया जा सकता है। तथापि, हम पुनः दोहराते हैं कि इस प्रकार की व्यापक शक्तियों का प्रयोग आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज करने के संदर्भ में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाए: (i) समाज की चेतना पर अपराध की प्रकृति तथा प्रभाव; (ii) क्षति की गंभीरता, यदि कोई हो; (iii) अभियुक्त तथा पीड़ित के बीच समझौते की स्वैच्छिक प्रकृति; तथा (iv) कथित अपराध के घटित होने से पूर्व तथा पश्चात अभियुक्तगण का आचरण और/अथवा अन्य सुसंगत विचारणीय तत्व।"

9. मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण (उपरोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 307 आई.पी.सी. का मात्र उल्लेख कार्यवाहियों को खारिज न किए जाने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। न्यायालय को यह परीक्षण करना होगा कि क्या अभियोजन ने धारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



307 आई.पी.सी. के अंतर्गत आरोप की विरचना हेतु पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किया है। न्यायालय को आगे यह परीक्षण करना अपेक्षित है कि प्रयुक्त हथियार तथा क्षति की प्रकृति क्या है और क्या शरीर के महत्वपूर्ण/कोमल अंगों पर क्षति कारित की गई है, अभियुक्त का पूर्ववृत्त क्या है तथा क्या वे फरार हैं और पक्षकारों के बीच समझौता किस प्रकार कराया गया, ये सुसंगत तत्व हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त अवलोकन उपर्युक्त प्रतिवेदन के प्रस्तर 11 से 18 में उल्लिखित कथन से स्पष्ट रूप से रेखांकित किए जा सकते हैं।

10. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थीगण 1, 2 तथा 3 के विद्वान ए.जी.ए., प्रथम सूचनाकर्ता-प्रत्यर्थी-4 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात, अभिलेख के अवलोकन पर तथा उपर्युक्त वर्णित वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त उल्लिखित अवलोकनों के दृष्टिगत, यह न्यायालय पाता है कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते को स्वीकार करने में कोई विधिक बाधा विद्यमान नहीं है, इस सीमा तक कि पक्षकारों के बीच का विवाद निजी प्रकृति का है और राज्य अथवा समाज के विरुद्ध अपराध नहीं है। पक्षकारों के बीच हुए समझौते के दृष्टिगत, अभियुक्त-याचिकाकर्तागण की दोषसिद्धि की संभावना न केवल क्षीण अपितु धूमिल भी है। अतः, कार्यवाहियों जारी रखने से ही पक्षों के साथ अन्याय होगा। विचारण से केवल न्यायिक समय की हानि होगी और यह एक निष्फल प्रयास होगा, विशेष रूप से जब न्यायालय में मुकदमों की बाढ़ सी आ गई हो और फाइलों का अंबार लगा हो। ।

11. उपरोक्त की गई विवेचन के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार किए जाने योग्य है।

12. तदनुसार, इसे **स्वीकार** किया जाता है।

13. प्रथम सूचनाकर्ता/प्रत्यर्थी-3 संतोषी मिश्रा द्वारा दिनांक 1.4.2023 को दर्ज की गई तथा धारा 406, 420 आई.पी.सी. के अंतर्गत थाना-आयना, जनपद-औरैया में मुकदमा अपराध संख्या 043/2023 के रूप में पंजीकृत आक्षेपित एफ.आई.आर., एतद्वारा, खारिज की जाती है।

14. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, पक्षकार अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24 मार्च, 2026

अरशद

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।